न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 79 / 2024

जीसीएमएस संख्याः 2024 / 141

दिनेश चन्द्र पुत्र बुद्धाराम जाति जाटव निवासी कासगंज तहसील मनियां जिला धौलपुर राज0 ....वादी

बनाम

1. कप्तान सिंह पुत्र कैलाशीराम जाति जाटव निवासी जयेरा का पुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर
2. नाबालिग दिव्यांस पुत्र सूरज संरक्षक सरपरस्त मां भारती पत्नी सूरज जाति जाटव निवासी जयेरा का पुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर
3. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय मनियां जिला धौलपुर
4. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, मनियां वहैसियत लैण्ड होल्डर ....प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक 24.06.2025

निर्णय

वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 13.08.2024 को एक राजस्व वाद बाबत बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 30.09.2024 को प्रांरम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार मनियां से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार मनियां ने पत्रांक 471 दिनांक 21.05.2025 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है। तहसीलदार मनियां के द्वारा प्राप्त हुए प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, वकील उभयपक्ष ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की, एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार मनियां से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 110 रकवा 0.3035 हैक्टेयर स्थिति ग्राम फूलपुर तहसील मनियां जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैः–

	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म	लगान
1.	दिनेश चन्द पुत्र बुद्धाराम हि0 पूर्ण जाति जाटव सा. कासगंज खातेदार	110 / 1 (पश्चिम)	0.1517है0	वा0दो0	0.27
2	ललित कुमार पुत्र रामेश्वर हि0 1 / 2 जति जाटव सा. कासगंज, नाबालिग दिव्यांश पुत्र सूरज संरक्षक मां भारती हि0 1 / 2 जाति जाटव निवासी सा. जयेरा का पुरा खातेदार	110 / 2 (पूर्व)	0.1518है0	वा0दो0	0.28

कुल किता 2 रकवा 0.3035 हैक्टेयर बाकै ग्राम फूलपुर तहसील मनियां व जिला धौलपुर कुल लगान 0.55 रूपये।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी के कुल लगान 0 रूपये 55 पैसे के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर 01 रूपये 10 पैसे के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर